



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 257 राँची, बुधवार, 20 जेष्ठ, 1942 (श०)
10 जून, 2020 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

10 जून, 2020

संख्या-परि०वि०(स्था०)-124/2015(खण्ड-I)- 1494--उपायुक्त, खूँटी द्वारा स्थानीय एवं वैकल्पिक व्यवस्था के तहत श्री रोहित सिन्हा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, खूँटी को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, खूँटी का प्रभार दिया गया है। उपायुक्त, खूँटी से प्राप्त अनुशंसा एवं अनुरोध के आलोक में श्री रोहित सिन्हा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, खूँटी को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

2. श्री सिन्हा प्रावधानित नियम के तहत वाहनों की जाँच करेंगे एवं दण्ड शुल्क इत्यादि की राशि परिवहन विभाग के लिए कर्णांकित राजस्व संग्रहण संबंधी खाते में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री सिन्हा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अपने जिलांतर्गत खनन क्षेत्र में अवैध वाहनों के परिचालन की रोक-थाम हेतु व्यवसायिक वाहनों की नियमित सघन जाँच हो।

4. श्री सिन्हा मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वाहनों की जाँच एवं दण्ड अधिरोपण की कार्रवाई करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

हरेन्द्र कुमार पाण्डेय
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग ।
